

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-05/2017  
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं संबंधित संचरण लाइन के लिए कुल 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) रुपये का 20% अर्थात् 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 करोड़ (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-3494 दिनांक-20.11.2017 के द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं सम्बन्धित संचरण लाइन के लिए कुल रू० 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) की योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) करोड़ रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजना की कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय राज्यादेश संख्या-515 दिनांक-21.02.2019 के द्वारा 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये अर्थात् कुल 35.00 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि 35.00 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के द्वारा मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं संबंधित संचरण लाइन के लिए कुल 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) रुपये का 20% अर्थात् 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 करोड़ (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-05-संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड- 10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।
6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-05/2017 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-05/2017 पृष्ठ संख्या-30/टि० पर दिनांक-22.08.2019 को प्राप्त है।  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
(प्रत्यय अमृत)  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-05/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-05/2017

2325

/पटना, दिनांक-

02/09/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।